



क्रमांक एफ 4 () आकाशि/नि.स./2022/ 1005 दिनांक- 4.10.2023

सचिव/ प्राचार्य
समस्त निजी / बीएड महाविद्यालय

विषय:- महाविद्यालय का नाम AISHE पोर्टल पर दर्ज करवाकर AISHE कोड प्राप्त करने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 20 (101) आकाशि/प्रशा./ AISHE-00372 दिनांक
26.09.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए All India Survey on Higher Educations नवीन सत्र के लिए शुरू हो गया है। इस ऑनलाइन सर्वे के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश संदर्भित पत्र में उल्लेखित किए गए हैं।

समस्त निजी महाविद्यालयों को राज्य सरकार की प्रभावी निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 के बिन्दु 8.2 अनुसार Web DCF अपलोड करना अनिवार्य है। कृपया संदर्भित पत्रानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सहायक निदेशक, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालयों को उनको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयों को दूरभाष पर सूचित करते हुए आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयों को दूरभाष पर सूचित कर आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
3. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

Signature valid

Digitally signed by Jagdeep
Designation: Professor
Date: 2023.10.04 11:12:32 IST
Reason: Approve

RajKaj Ref No. : 4822638



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

S. N. F20 (101)CCE/Admin/AISHE-00372

Date:

समस्त प्राचार्य
राजकीय/निजी/बीएड महाविद्यालय
राजस्थान

विषय: महाविद्यालय का नाम AISHEपोर्टल पर दर्ज करवाकर AISHEकोड प्राप्त करने बाबत |

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए All India Survey on Higher Education नवीन सत्र के लिए शुरू होगया है। इस ऑनलाइन सर्वे के लिए सर्वप्रथम AISHEपोर्टल पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवा कर AISHE कोड प्राप्त करना आवश्यक है। यह AISHEकोड राज्य एवं भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल पर नाम जोड़े जाने के लिए अति आवश्यक है। यदि AISHEकोड की वजह से कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति में वंचित रह जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी | अगर महाविद्यालय को AISHEकोड पहले से ही मिला हुआ है उन्हें पुनः नाम जुड़वाने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे महाविद्यालय जिनके नाम AISHEपोर्टल पर रजिस्टर नहीं है वे अविलंब अपने महाविद्यालय का नाम AISHEPortal (<http://aishe.nic.in>)के मुख्यपृष्ठ पर अंकित "Request for Adding Institute" लिंक <https://dcf.aishe.nic.in/addnewinstitute/#/> पर क्लिक कर अपने महाविद्यालय व महाविद्यालय के नोडल ऑफिसर से सम्बंधित जानकारी भरें तथा Proof of Existenceके लिए महाविद्यालय की राज्य सरकार की Latest NOC, विश्वविद्यालय का Latest Affiliationलैटर एक ही pdfफाइल में बनाकर अपलोड करें इसके पश्चात राज्य नोडल अधिकारी (SNO)व विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी (UNO)से Approvalके बाद AISHE, MHRDनई दिल्ली द्वारा नाम जोड़ा जावेगा |

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.26 17:26:00 IST
Reason: Approved

समस्त निजी महाविद्यालयों की राज्य सरकार की NOC नीति अनुसार Web DCFअपलोड करना अनिवार्य किया जा चुका है इससे पूर्व महाविद्यालय का नाम AISHE Portalपर दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी व गाईडलाइन्स AISHE पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इसी क्रम में अन्य जानकारी एवं सहायता हेतु 0141-2706106 पर डॉ. संदीप कुमार / श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि:

1. डिप्टी डायरेक्टर, MHRD, नई दिल्ली
2. संयुक्त सचिव (ग्रुप-4)को भेजकर लेख है की वे नए विश्वविद्यालयोंको अपना नाम AISHEपोर्टल पर दर्ज करने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें ।
3. संयुक्त निदेशक(निजी संस्थाएं) पृथक से पत्र लिखकर निजी महाविद्यालयों को AISHE पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें ।
4. समस्त रजिस्ट्रार, सम्बद्धक महाविद्यालयों को भेज कर लेख है की वे अपने विश्वविद्यालय के नोडलअधिकारीAISHE (UNO)को ऑनलाइन Requestsको निरंतर Approvalकी कार्यवाही करते रहने हेतु निर्देशित करे ।
5. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों/निजीमहाविद्यालयों को AISHEपोर्टल पर दर्ज करवाने हेतुनिर्देशित करवाना सुनिश्चित करें ।
6. समस्त नोडल महाविद्यालय सत्र2023-24में खोले गए नवीन राजकीय महाविद्यालयों को AISHEपोर्टल पर नाम दर्ज करवाने हेतुनिर्देशितकरवानासुनिश्चित करें ।
7. समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को भेज कर लेख है कि वे निजी व बीएड महाविद्यालयों से संपर्क कर उनका नाम AISHEपोर्टल पर दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें ।
8. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.26 17:26:00 IST
Reason: Approved